

**गुरुवार, 11 जुलाई- 2024**

## फ्रांस में फिर से लाल सलाम


इतिहाल गवाह है कि 14 जुलाई, 1789 की सुबह फ्रांस की राजधानी पेरिस में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। लोग महल के सामने ही बड़ी संख्या में जमा होने लगे थे। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियाँ चलाने का आदेश देने वाला है। करीब 7000 आदमी और औरतें महल के टाउनहॉल में जमा हुए। सभी ने मिलकर राजशाही के प्रतीक बैस्तेल के किले की एक दीवार को गिरा दिया। 1774 में फ्रांस में बूबों राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी पर बैठा। उस वक़्त उसकी उम्र महज 20 साल थी। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतवानेत से हुई थी। उस वक़्त फ्रांस के महल का खर्च उठाने के लिए आम आदमी से भारी टैक्स वसूलें जाते थे। पूरा महल ऐशो-आराम में डूबा रहता और जनता भूखों मरने लगी थी। बैस्तेल की दीवार गिरने के साथ ही फ्रांस की महान क्रांति की नींव पड़ी, जिसने दुनिया में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता का राह दिखाई। आज 235 साल बाद इसी फ्रांस में हुए आम चुनाव में वामपंथी दलों के गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट यानी एलएफपी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत मिली है। फ्रांस के चुनाव से एक महीने पहले तक इस गठबंधन का कोई वजूद नहीं था। चुनाव के एलान के बाद सबको चौंकाते हुए कई दलों ने साथ आकर न्यू पॉपुलर फ्रंट के एलायंस ने फ्रांस की संसद में सबसे ज्यादा सीटें जीत लीं। शुरुआत में दक्षिणपंथी नेशनल रैली को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही थी। मगर दूसरे चरण में आते-आते वह हार गई। बता दें कि नेशनल रैली के कई सदस्य जर्मन तानाशाह हिटलर का समर्थन करते हैं। कुछ ने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिमों और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरे भाषण भी दिए। इसी को देखते हुए वामपंथी और मध्यम मार्गी पार्टियों ने दक्षिणपंथी को हराते के लिए खास स्टैंटेंज अपनाईं। चुनाव रैलियों में वामपंथी नेताओं ने कहा कि नेशनल रैली लोगों में नफरत फैला रही है, जो फ्रांसीसी क्रांति और संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। नतीजतन प्रचार के दौरान ही मध्यम मार्गी गठबंधन के प्रमुख नेता और देश के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने कहा, हमें नेशनल रैली को बहुत कम तक पहुंचने से रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि यह हमारे देश के लिए एक त्रासदी होगी। इसी तरह धुर-वामपंथी दल एलएफआई के एक प्रमुख नेता फ्रांस्वाइस रूफिन ने कहा, आज हमारा नेशनल रैली को पूर्ण बहुमत से रोकना ही मकसद है। वहीं, सिविल सोसाइटी ने भी कहा कि नेशनल रैली प्रवासियों के खिलाफ नफरत फैलाती है। इसके नेता मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ नस्लीय भाषण देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाज में जबरदस्त उथल-पुथल आया था। उस युग के दार्शनिकों और राजनैतिक विचारकों की भी लगा कि समाज में व्यवस्था बनाने के लिए समन्वयपूर्ण संरचना जरूरी है। कितने आधुनिक समाज वैज्ञानिकों ने फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक नए समाज विज्ञान का निर्माण किया, जिसका मकसद था समन्वयपूर्ण समाज निर्माण। सिर्फ वैचारिक क्रांति नहीं बल्कि सामाजिक समरसता, सौहार्द और शांति की आवश्यकता को समझा गया था। 1789 में फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के सदस्यों ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक की। वे इस बात पर बहस कर रहे थे कि राजा लुई 16वें के पास कितना अधिकार होगा। बहस तेज हो गई और राज-विरोधी क्रांतिकारी पीठासीन अधिकारी के बायें ओर जुट गए, जबकि रूढ़िवादी कुलीन समर्थक दायें ओर जमा हो गए। 1790 में अखबारों ने फ्रांसीसी नेशनल असेंबली के प्रगतिशील वामपंथ और परंपरावादी दक्षिणपंथ का जिक्र करना शुरू कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के शासनकाल में ये बंद मिट गए। 1791 में फ्रांसीसी नेशनल असेंबली को फ्रांसीसी विधान सभा बनी। नवप्रवर्तक बायें ओर बैठे, नरमपंथी केंद्र में और संविधान के कर्तव्यनिष्ठ 1848 में दायें ओर बैठे और यह व्यवस्था 1792 तक जारी रही। 1848 में लोगों द्वारा अपनी पार्टी के प्रतियन्धा दिखाने के लिए 'लोकतांत्रिक समाजवादी' और 'प्रतिक्रियावादी' शब्दों का इस्तेमाल किया जाने लगा। यहीं से पूरी दुनिया में वामपंथ और दक्षिणपंथ शब्द चलन में आया। वामपंथ और दक्षिणपंथ राजनीति के बीच मौलिक अंतर यह है कि जहां वामपंथ समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, प्रगति और सुधार पर जोर देता है, वहीं, दक्षिणपंथ कर्तव्य, पदानुक्रम, अधिकार, व्यवस्था, परंपरा और राष्ट्रवाद पर जोर देने का हिमायती है।

# लॉजिक और मैजिक

अब शायद लोगों का तर्क के प्रति नजरिया ही बदला हुआ लगता है। आप चाहे जितनी दलीलें दे दो उनको नहीं मानना है तो नहीं ही मानेंगे। लॉजिक कहां मिस हो गया पता नहीं। आप अपना माथा फोड़कर भी गलत



**डॉ टी महादेव राव**


 दो चार होते हैं, चांद रात को निकलता है। इन बातों के लिए तर्क या लॉजिक की क्या जरूरत है छोड़ू? बात मत घुमाओ बैया। सार्वजनिक सत्य है।  
**देव राय** सब। इनका तर्क या लॉजिक से क्या लेना देना, बोलिए। अब जो जीत सकता है यह जानते हुए उसके पास जाकर उसे प्रेना देना और हारने वाले को ढाढस बंधाने में फर्क है कि नहीं। बिलकुल नहीं है। जीतने वाले से काम निकलवाना और हारे के आंसू पोंछना जग की रीत है। इसमें फर्क क्या है? चूँकि रावण गलत था, इसके लिए सारी लंकावासी गलत हैं, क्या यह सही है? राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में थे इसका मतलब सारी जनता अयोध्या की सज्जन है क्या यह सही है? बिलकुल सही है। जैसे पहले चंबल का मतलब डाकू, लुटेरे, हत्यारे ही होता रहा खैर अब बदल गया सब कुछ। अच्छा तो विभीषण, त्रिशठा जैसे अच्छे लोग भी तो थे लंका में। अयोध्या में मंथरा और कैकेई जैसे नकारात्मक चरित्र वाले भी रहे कि नहीं। हर जगह चावल का एक दाना फकड़कर निर्णय देना कि सारा चावल पक गया या नहीं यह नियम काम नहीं करता समझे छोड़ू? तो बैया जो इतनी देर से मुझे बिठाके पका रहे हो, मैं जान सकता हूँ कि किसलिए?



अशोक भाटिया

न सीनियर सिटीजंस के लिए कोई बड़ा एलान नहीं किया था। इसलिए सीनियर सिटीजंस को आने वाले बजट से ज्यादा उम्मीदें हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके बटुए में और ज्यादा पैसे आगये या नहीं? इनकम टैक्स कानून के अनुसार, सीनियर सिटिजन्स को दो समूहों में बांटा गया है — सीनियर सिटिजन्स और सुपर सीनियर सिटिजन्स। इनमें से प्रत्येक समूह के लिए टैक्स सम्बन्धी यानी भी अलग-अलग हैं। सीनियर सिटिजन्स यानी 60 से 80 साल की उम्र के लोगों के लिए 3 लाख रुपये की इनकम तक टैक्स माफ है। सुपर सीनियर सिटिजन्स यानी 80 साल के ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 5 लाख रुपये की इनकम तक टैक्स माफ है। रिटायर्ड लोगों का यह है कि यह अंतर्गत हो जाए क्योंकि कई लोगों के पास, पेंशन और इन्वेस्टमेंट को छोड़कर इनकम का कोई अन्य साधन नहीं है। उनका मानना है कि सबके लिए 5 लाख रुपये की छूट हो सकेगी जो जानी चाहिए ताकि सभी सीनियर सिटिजन्स पर टैक्स का बोझ कम हो सके। मौजूदा टैक्स स्लैब के अनुसार, सीनियर सिटिजन्स को अलग-अलग दर के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। सीनियर सिटीजंस

को उम्मीद है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण हेल्थ इश्योरेंस के प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ा सकती हैं। अभी 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर सालाना 50,000 रुपये डिडक्शन की इजाजत है। बुजुर्गों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में खासकर कोविड की महामारी के बाद हेल्थ इश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम काफी बढ़ गया है। इसलिए सरकार को 50,000 रुपये के डिडक्शन को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपये कर देना चाहिए। इससे उन पर टैक्स का बोझ घटेगा। सैनियर सिटिजन्स पर महंगाई का ज्यादा असर पड़ता है। उनके इनकम के साधन सीमित और अक्सर निश्चित होने के कारण, बढ़ती महंगाई के कारण सीधे तौर पर उनकी खरीदने की ताकत कम हो सकती है। उनके पास महंगाई से लड़ने के लिए अपने इनकम को बढ़ाने का कोई तरीका नहीं भी हो सकता है। इसलिए, सरकार उन्हें अधिक से अधिक, महंगाई को मात देने वाले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देने के बारे में सोच सकती है। वर्तमान में, सैनियर सिटिजन्स पर सैनियर स्कैम में 30 लाख रुपये तक इन्वेस्ट किया जा सकता है जिस पर 8.2 % प्रति वर्ष की दर से सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। सरकार इस सीमा को बढ़ाने, ज्यादा दर ऑफ रिटर्न देने और एक कम लॉक-इन फिक्स करने के बारे में सोचना चाहिए। इससे सैनियर सिटिजन्स की खरीदने की ताकत बढ़ जाएगी और उन्हें बेहतर लिक्विडिटी मिल पाएगी। कई सैनियर सिटिजन को मांग है कि उन्हें ब्याज ब्याज से 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज

मिलना चाहिए । वैसे इस समय एंफ़डी ब्याज दरों की बात करें तो डीसीबी बैंक में सीनियर सीटीजन को एफ़डी पर 8.6% का ब्याज मिल रहा है । पंजाब एंड सिंध बैंक में सीनियर सीटीजन को एफ़डी पर 7.9% का ब्याज दे रहा है । ज्यादातर बैंक सीनियर सीटीजन को अधिकतम 7.75 फ़ीसदी का ब्याज दे रहे हैं । इसमें एसबीआई, HDFC, ICICI Bank आदि शामिल हैं । अगर सरकारी 2 फ़ीसदी तक ब्याज बढ़ता है तो सीनियर सीटीजन को मिलने वाला ब्याज 10 फ़ीसदी तक जा सकता है जिससे उनके बुढ़ापे की गाड़ी आसानी से चल सकेगी ।

वर्तक पूर्व सीनियर सीटीजन एसोसिएशन के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी आनंद बोंगिरवार के अनुसार सरकारी वरिष्ठ नागरिकों की बैंक में जमा पूँजी की पूरी राशि को सुरक्षा की गारंटी करें, इसे 5 लाख की सीमा में लोक अप न किया जाय । देश में चल रहे सभी विमान सेवा द्वारा सीनियर सीटीजन को 50% डिस्काउंट प्रदान किया जाय, विमान सफ़ाई हो यां गैर सरकारी इस समय पारिवारिक पेंशन के लिये 65 लाख लोग पेंशन के लिये लगातार संघर्ष कर रहे हैं । सभी वरिष्ठ नागरिक को पेंशन प्रदान किया जाय क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही कम पैसे में गुजर किया था और महंगाई बढ़ने पर उनकी जमा पूँजी में कमी हो गई है । इसी कारण सीनियर सीटीजन को दौंतो की बीमारों के लिए इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती । नकली दाँव बनवाने, टैक्स में कमी को इलाज करने की इनकम टैक्स में छूट दी जावे । दौंतो के इलाज में एक बड़ी धनराशि खर्च

होती है। मोदी सरकार ने चुनाव के पहले वायदा किया था कि 70 वर्ष से ऊपर के हर वर्ग के सीनियर सिटीजन को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। इस वायदे को इस वजह से मोहर लगाई जाय व उम्र सीमा घटा कर 70 से 60 वर्ष की जाय।

कोविड से पहले तक सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट पर 40 से 50 फीसदी तक की छूट दी जाती थी लेकिन ये छूट कोविड के समय खत्म कर दी गई। कोविड का डर खत्म होने के बाद भी सरकार ने इस छूट को फिर से शुरू नहीं किया है। अब सीनियर सिटीजन बजट में देने जाने पर 50 फीसदी तक की छूट देते हैं कि डिमांड कर रहे हैं। वह उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उन्हें ये छूट फिर से देना शुरू करेगी। गौतमलव है कि आईआरसीटीसी सिनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों की सभी केटेगरी में रियायती किराए ऑफर करता था। आईआरसीटीसी साल 2019 के अंत तक 60 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन और 58 साल या उससे अधिक उम्र की महिला बुजुर्ग यात्रियों को दुरंतो, शताब्दी, जन शताब्दी, राजधानी, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के ट्रेन टिकट पर किराए में छूट देता था। जहां पुरुष वरिष्ठ नागरिक 40 प्रतिशत की रियायत के पात्र थे, वहीं महिला वरिष्ठ नागरिक ट्रेन टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकती थी। साल 2019 के अंत तक सीनियर सिटीजन को ट्रेनों की टिकट की कीमत पर 40 से 50 फीसदी तक की छूट मिली थी। अगर राजधानी का फर्स्ट एसी का टिकट 4,000 रुपये है तो सीनियर सिटीजन को 2,000 या 2,300

रुपये में मिलता था। फिर साल 2019 के अंत और साल 2020 की शुरुआत में कोविड देश और पूरी दुनिया में फैल गया जिसके बाद IHCTC की डिकट बुकिंग विंडो पर ये सर्विस मिलनी बंद हो गई। अब सीनियर सिटीजन उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में उन्हें ये खास कट्टर फिर मिलेगी। सीनियर सिटीजंस का कहना है कि कई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका अपना घर नहीं है। वे किराया के घरों में रहते हैं। उन्हें हर महीने मकान मालिक को किराया चुकाना पड़ता है। रेगुलर इनकम नहीं होने से उन्हें दिक्कत आती है। सरकार को ऐसे सीनियर सिटीजंस को घर के किराए पर टैक्स डिडक्शन देना चाहिए जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है। इससे बुजुर्गों पर टैक्स का बोझ कम होगा। उन्हें उम्मीद है कि वित्तमंत्री इस बार बजट में उनकी यह मांग पूरी करेगी।

वर्तमान में, मूल कर छूट सीमा वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के लिए 3 लाख रुपये और बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु) के लिए 5 लाख रुपये है। यह वह सीमा है जिस तक वरिष्ठ नागरिक की आय पर कर नहीं लगता है। अब, मांग यह है कि बजट में नई कर व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) के लिए मूल कर छूट सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाना चाहिए जो कि बहुत वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) के समान है।

वरिष्ठ नागरिक आगामी 2024 बजट में संभावित बोनस योजनाओं और कर प्रोत्साहनों को लेकर आशान्वित हैं।

## रूस भारत के संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करेगा मोदी का दौरा



**मनोज कुमार अग्रवाल**

रूस भारत के संबंधों को अधिक प्रभाव देकरा मोक्ष को दौरा मनोज कुमार अग्रवाल रूस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोक्ष को जिस प्रकार से पक्षक पावर्टे विष्ठा कर भव्य स्वागत किया में के बीच ऐतिहासिक रूस में है। अपने तीसरे प्रपक्षीय यात्रा पर रूस दे यात्रा न सिर्फ द्विपक्षी रूसक वैश्विक दृष्टि से भी राह है। यही कारण है की दूसरी तक की निर्माण दी और रूसी राष्ट्रपति तर्फ पर टिकी हुई है। इसलिये मोक्षपूर्ण हो तर्फ नयी देशों को सरी के तर्फ घरेलू मोक्ष विपक्षी चीन की बदती अरुणालटिक टीटी में गो को समलेन रूस को करि इत रूस और यूक्रेन के रहे हैं। वर्तमान में मोक्ष नजर आ रही है। रूस के खिलाफ न है। तो रूस के साथ है। इसी

संबंधों को नई चुनौतियों का सामना करना रहा है, क्योंकि रूस और चीन के अ बीच दोस्ती बढ़ रही है, जो भारत का मुख्य प्रतिकारक है। इस त्रिकोणीय रिश्ते की जटिलता तय साफ हो गई जब पीएम मोदी ने संभाई स्मॉलंडन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन-शिखर होने के बजाय अपने कि विदेश मंत्री कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई बैठक में भेजा। इस बैठक में रूसी राष्ट्रपति पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल संतुलन साधने की इन चुनौतियों चुनौतिय बीच मोदी की इस यात्रा के कई मान्य हैं। पहले, यह दौरा यह संकेत देता है कि भारत रूस के संबंधों में गंभीरता से बकावर है, ही दुनिया में कितना भी उतार-चढ़ाव हो। यह दौरा भारत के उन प्राचीन की दार्शाता वह अपने विदेश नीति में संतुलन बनाए के लिए कर रहा है, खासकर चीन और अमे जैसे बड़े देशों के साथ। इन सबके बीच यात्रा इसलि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2 भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन प्रतीक है, जो दोनों देशों के बीच रणनी साझीदारी में दूरी में बातचीत का सबसे मंच बना चुका है। अपनी इस यात्रा के दौरान मोदी और पुतिन भारत-रूस संबंधों से जुड़े तमाम पहलुओं समीक्षा करेंगे। औपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर करने के साथ ही वैश्विक मुद्दों और इससे चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान क इस यात्रा में दोनों देशों के बीच श्वा सरो पर चर्चा के माध्यम से ही होें।

से एक दर्जन लड़ाकू विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और पुतिन ने फीफ़्टाइज टैक एसएच-51, टीैंक गोले की फैक्ट्री डील, मैगो आर्म्स-फिज़र्स टैंक राउंड की फैक्ट्री डील, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स समझौता हो सकता है। इस दौर से पहले ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत और रूस संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए समझौता कर सकते हैं। इस दौर में एस-400 वायु रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति को दोबारा शुरू करने के भारत के अनुरोध पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। 30 किमी की ऊंचाई के साथ 400 किमी तक की मारक क्षमता वाले एस-400 के लिए 2018 में समझौता हुआ था। पांच अरब डॉलर की इस डील में भारत ने पांच एस-400 मिसाइल का ऑर्डर दिया है। इनमें से तीन की डिलीवर की जा चुकी है जबकि दो अभी बाकी है। सतह से हवा में मार करने वाला यह मिसाइल सिस्टम मिमान, ड्रोन, कूज और बैलिस्टिक मिसाइल के हवाई हमलों को रोक सकता है। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच बीच मुख्य फोकस व्यापार असंतुलन को बेहतर करने पर भी हो सकता है। रूस से भारत को तेल और ऊर्जा उत्पादों में काफी वृद्धि से व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। भारत से रूस को होने वाले निर्यात को यो गति नहीं मिल पाई है। रूस के साथ भारत का व्यापार घाटा 2022-23 में 43 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 57.2 बिलियन डॉलर हो गया। 2023 की पहली तिमाही में भारत को रूस के साथ 14.7 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ सा था। रूस भारत के लिए तेल के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, लेकिन रूस को भारत का निर्यात बढ़ते आयात के साथ तालमेल नहीं रख पाया है, जिससे एक बड़ा और बढ़ता व्यापार असंतुलन पैदा हो गया है। इसके अलावा भारत सरकार कृषि, उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य ऊर्जा सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में रूस को निर्यात बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसे बढ़ाने को लेकर इस यात्रा में खास फैसला हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस और भारत दोनों देशों के लिए रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर है, खासकर तब जब पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को कई तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच मील का पथर साबित होगी और दोनों देशों के बीच रिश्ते में प्रगति और बढ़ेगी।

## मतांतरण पर व्यापक बहस की जरूरत

**मुनीष त्रिपाठी**

**मुनीष त्रिपाठी**

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मतांतरण के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसने समाज में व्यापक चर्चा और बहस को जन्म दिया है। इस निर्णय के तहत, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी प्रकार का जबरन या धोखाधड़ी से मतांतरण अवैध और असंवैधानिक है। बीते 2 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मतांतरण को लेकर गंभीर टिप्पणी की है।

कोर्ट ने कहा है कि यदि धार्मिक सभाओं में मतांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी ही अल्पसंख्यक हो जायेगी। न्यायाधीश रोहित रंजन अग्रवाल ने हिंदुओं को ईसाई बनाने के आरोपी मोदीहा हमीरपुर के कैलाश की जमानत अर्जी को खारिज करने हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार को छूट है लेकिन धर्म बदलने की अनुमति नहीं है। ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है।

भारत एक पंथनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। हालांकि, यह अधिकार पर्याप्त नहीं है और इसके कुछ प्रतिबंध हैं। यह निर्णय संविधान के इसी अनुच्छेद की व्याख्या के संदर्भ में आया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति का मतांतरण उसकी स्वच्छा और स्वतंत्र इच्छा से होना चाहिए। जबरन, धोखाधड़ी या लालच देकर किया गया धर्मांतरण अवैध है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मतांतरण एक गंभीर और व्यक्तिगत मामला है, और इसे किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक या अन्य प्रकार की मजबूरी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस निर्णय का समाज पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि मतांतरण का अधिकार सिर्फ तभी है जब वह स्वच्छा से और बिना किसी दबाव के किया जाए। यह निर्णय विशेष रूप से उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहां गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों का जबरन या धोखाधड़ी से मतांतरण किया जाता है। कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी में मतांतरण के कारण बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यक होने की चिंता जाहिर की है।

कानूनी दृष्टिकोण से, यह नियम एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है। यह स्पष्ट करता है कि मतांतरण के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और इसे केवल उन परिस्थितियों में ही मान्यता दी जाएगी जब यह पूर्णतः स्वेच्छा से किया गया हो। इससे भविष्य में मतांतरण के विवादों में एक महत्वपूर्ण संदर्भ मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह निर्णय भारतीय समाज और कानून में एक महत्वपूर्ण मील का पथर है। यह न केवल मतांतरण के मामलों में एक स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करता है, बल्कि समाज में धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित करता है। इस फैसले से यह उम्मीद की जा सकती है कि भविष्य में मतांतरण के मामलों में न्याय और पारदर्शिता बनी रहेगी, और सभी धर्मों के लोग अपने धार्मिक विश्वासों का पालन स्वतंत्रता से कर सकेंगे।

भारत में मतांतरण की घटनाएँ लंबे समय से विवाद का विषय रही हैं। मतांतरण का मुद्दा धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इतिहास में विभिन्न धार्मिक समूहों द्वारा मतांतरण की गतिविधियाँ देखी गई हैं। 1981 में मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण एक समूहिक धार्मिक रूपांतरण था जो तमिलनाडु के मीनाक्षीपुरम गाँव में हुआ था, जिसमें 200 से 300 परिवारों के सैकड़ों दलित जाति के हिंदुओं ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस घटना ने भारत में धर्म की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी थी। स्वाधीनता के बाद यह भारत में सबसे बड़ी मतांतरण की घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। भारत की स्वाधीनता के बाद 1956 में मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार मतांतरण की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे 'नियोगी समिति' के नाम से जाना जाता है। इस समिति का अध्यक्ष भवानी शंकर नियोगी थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न धार्मिक संगठनों और मिशनरियों द्वारा मतांतरण की गतिविधियों का विस्तृत विश्लेषण किया। नियोगी समिति की रिपोर्ट में पाया गया कि मतांतरण के मुख्य कारण गरीबी, शिक्षा की कमी और जालसाज सुविधाओं की कमी थे। मिशनरियों द्वारा इन सुविधाओं का लालच देकर मत परिवर्तन कराया जाता था।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि कई धार्मिक संगठनों ने अपने विधेय प्रचार के लिए आर्थिक और सामाजिक मदद का सहारा लिया। विशेष रूप से ईसाई मिशनरियों द्वारा स्कूल, अस्पताल और अन्य सामाजिक सेवाओं का उपयोग करके मतान्तरण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। सर्मिनि ने सुझाव दिया कि मतान्तरण की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाए जाएं। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय शामिल थे कि किसी भी व्यक्ति का मत परिवर्तन उसकी स्वेच्छा से हो, न कि किसी दबाव या लालच के कारण।



सुरेश मिश्रा

था—दो तमाचे। अरे सुनो, रामु, तुम्हारे पिता की छड़ी कहाँ है? मैं ने पूछा। उधर बच्चे मचा रहे हैं। रामु, 10 साल का छोटा लड़का जो पिताई के महत्व को भलीभाँति समझ गया, चुपचाप अपने कमरे में छड़ी खोजने लगा। मैं, मिल गई। और फिर देखते ही बच्चों की सारी उधमबाज़ी पिटाई, से शांत पड़ी। पिटाई के बाद बच्चे चुप हो गए। उसकी माँगें जैसे ठंडे बस्ते में दाल दिए गए। फिर आते हैं हमारे प्रायेय, वीरू। वीरू गाँव सबसे बड़ा सिनेमा प्रेम था। वह हर श्रृंखला

# अजब गाँव की र

नई फ़िल्में देखने जाता, खासकर वे जिनमें मार-  
धड़ के दृश्य होते। जब अभिनेता विलेन को  
पीटाता, तो वीरू के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती।  
और माँरो, और माँरो! वह चिल्लाता। वीरू को  
ऐसा लगता माँरो वह खुद लड़ाई के मैदान में  
खड़ा हो। गाँव के लोग राम-रावण युद्ध और  
महाभारत की कहानियों को बड़े चाव से सुनते।  
भाई-भाई का झगड़ा हो या दंगा-फसाद, सबमें  
पिटार ही असली उपाय है, गाँव के पंडित जी  
अक्सर कहा करते। गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन  
को भी गाँव के महत्व के बारे में बताया है।  
फिर राहु में एक दिन कफ़ूँ लगा। उपद्रवियों को  
ठीक करने का यही तरीका है, पुलिस वाले  
कहते। भय बिनु होइ न प्रीति, तुलसीदास जी भी  
यही कहते थे। आधुनिक युग में पिटार शास्त्र की  
शुरुआत स्कूलों से होती है। मास्टर जी छड़ी  
लेकर आते और बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकते।  
पढ़ाई के सवाल पूछोगे तो पिटार होगी, वह

धमकाते। गाँव में एक और प्रसिद्ध व्यक्ति थे, कवि गोपाल सिंह। उन्होंने भी पिटाई के महत्व को समझा। ओ राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से चरखा चलता है हाथों से शासन चलता तलवार से, उन्होंने कविता में कहा। एक दिन वीरू शहर के चौराहे पर बिना हेलमेट के पकड़ा गया। बिना हेलमेट के वाहन चलाओगे तो पिटाई होगी, पुलिस वाले ने कहा। वीरू को पिटाई हुई और उसने हेलमेट पहनने का महत्व समझ लिया। एक दिन गाँव में बड़ा दंगा हुआ। पिटाई की आवाजें हर ओर गूँज रही थीं। वीरू, मास्टरजी और पंडित जी सब इस दंगे में घायल हो गए। पिटायापुर में शांति लौट आई, लेकिन वह शांति नहीं जो प्रेम से आती है, बल्कि वह जो भय और पिटाई से आई थी। गाँव के लोग समझ चुके थे कि पिटाई शास्त्र का महत्व है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है।



